उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – 1

1,सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद–211001 फोन/फैक्स 0532–2423660/2423659 सीयूजी–9454402010
ई–मेल पता : anubhagadhikari10phq@gmail.com वेबसाइट : uppolice.up.nic.in

पत्र संख्याःदस–51–2013(150) **दिनांक : अक्टूबर 25 , 2016**

सेवा में,

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

2. समस्त पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय :आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 की मुख्य लिखित परीक्षा में व्हाइटनर/ब्लेड प्रयोग किये जाने के संबंध में मा0उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 587–588/2016 हनुमानदत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2016 के अनुपालन में आरक्षी पुलिस पद पर भर्ती हेतु चयनित 3874अभ्यर्थियों का जेटीसी. प्रशिक्षण/नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना उ0प्र0 के पत्रांक डीजी–चार–106(266)2006 दिनांक 25.5.2016 के साथ उपर्युक्त विषयक भर्ती बोर्ड के पत्रांक पीआरपीबी–अनु–6–प–1/2015 (पार्ट–फाइल) दिनांक 20.5.2016 की प्रति भेजते हुए उसे प्रस्तर–6 के अनुसार आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण के प्रकरण में मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 51459/2015 कौशल गिरी बनाम उ0प्र0राज्य व 02 अन्य में दिये गये आदेश दिनांकित 07.12.2015 के परिप्रेक्ष्य में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले **4429** एवं **09** अन्य विविध कारणों से चयनित अभ्यर्थियों सहित कुल 4438 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन घोषित किया गया है। उक्त 4438 अभ्यर्थियों में से **आरक्षी पुलिस के पद हेतु चयनित 3874 अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही** समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08.08.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर से की गई है।

2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्रांक पीआरपीबी–भ–7–297/2016 दिनांक 30.08.2016 द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2016 के अनुपालन में घोषित नोशनल परिणाम में आरक्षी पुलिस के पद हेतु चयनित **अभ्यर्थी राम प्रकाश यादव पुत्र श्री मान सिंह यादव अनुकमांक 1538357** को बोर्ड स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित न पाये जाने पर नोशनल परिणाम के अन्तर्गत उसके प्राप्तांक ओबीसी श्रेणी के न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स से कम(पुलिस आरक्षी–312.3394, आरक्षी पीएसी/फायरमैन–311.0628 से कम 305.9564) होने के कारण चयनित से **अचयनित घोषित किया गया है।** इस प्रकार उक्त अभ्यर्थी का नाम पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 08.08.2016 द्वारा भेजी गई सूची/नामावली से हटाते हुए **3873 अभ्यर्थियों** की सूची उ0प्र0पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

3. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना उ0प्र0 के पत्रांक डीजी–चार–120(10)2013भर्ती दिनांक 20.9.2016 के माध्यम से समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 को निर्गत परिपत्र में आरक्षी पुलिस के पद हेतु चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थियों का जेटीसी प्रशिक्षण **दिनांक 02.11.2016** से कराना प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ यह निर्देश भी दिये गये हैं कि उपर्युक्त में से शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के **चरित्र सत्यापन की कार्यवाही विलम्बतम 10.10.2016 तक पूर्ण करा ली जाय** तथा जेटीसी प्रशिक्षण कराने के लिये प्रस्तावित तिथि से पूर्व सभी आवश्यक प्रबन्ध भी सुनिश्चित कर लिये जायें। **अतः प्रस्तावित तिथि से पूर्व जेटीसी प्रशिक्षण कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध कराया जाना सुनिश्चित कर लें।**

4. उपर्युक्त **3873**अभ्यर्थीगण में से **चरित्र सत्यापन की कार्यवाही में सभी प्रकार से उपयुक्त अभ्यर्थियों का दिनांक 02.11.2016 को सांय 4.00 बजे तक आगमन** हेतु बुलावा पत्र चरित्र सत्यापन कराने वाले जनपद द्वारा निर्गत किया जायेगा। इन 3873 अभ्यर्थियों में से **चरित्र सत्यापन की कार्यवाही से उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए उनका जेटीसी प्रशिक्षण चरित्र सत्यापन कराने वाले जनपदों में कराया जायेगा।** आरक्षी पुलिस के पद पर **नियुक्ति पत्र एवं बुलावा पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित हैं।**

5. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जेटीसी में आमद करने वाले अभ्यर्थीगण प्रतिदिन प्रशिक्षण हेतु प्रातः पुलिस लाइन आयेंगे एवं अगर पुलिस लाईन के बैरक इत्यादि में रूकने की पर्याप्त व्यवस्था न हो तो जेटीसी से आए अभ्यर्थियों को प्रतिदन सायं प्रशिक्षण के उपरान्त अपने घरों को वापस भेज दिये जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यकम इस प्रकार रखा जाय कि रिकूट आरक्षीगण सुगमता से पुलिस लाइन आकर प्रशिक्षण कार्यकम में भाग लेकर समय से अपने–अपने घर वापस जा सकें ।

SARKARIRESULT.COM

6. अन्य प्रान्तों के अभ्यर्थियों की जेटीसी में आमद उनके चरित्र सत्यापन वाले जनपद की पुलिस लाइन में की जायेगी जहाँ उनके ठहरने व भोजन आदि की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

7. जनपद स्तर पर चरित्र सत्यापन की कार्यवाही में सभी प्रकार से उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की तैयार की गयी चरित्र सत्यापन पत्रावली पर उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ओएमआर आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थियों द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/अभिलेखों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाय तथा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाय तो उस अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में नहीं की जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जाय। ऐसे प्रकरणों में चरित्र सत्यापन पत्रावली पुलिस मुख्यालय नहीं भेजी जायेगी।

8. अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों तथा ओएमआर आवेदन पत्र की सूचना के मिलान से सभी प्रकार से उपयुक्त अभ्यर्थियों का जे.टी.सी. में आगमन सुनिश्चित कराकर प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने एवं रिक्रूट आरक्षी की भर्ती एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, जे.टी.सी.प्रशिक्षण कराने तथा किट प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश निर्गत करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। उपरोक्त प्रत्येक कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त कागजात/अभिलेख अभ्यर्थी की मूल पत्रावली पर अवश्य रखवा दिये जायें और उन सभी की चरित्र पंजिकाये तैयार करा ली जायें।

9. चरित्र सत्यापन जनपद द्वारा निर्गत किये जाने वाले बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिए निर्देश हैं कि वे अपने साथ सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे जिन्हें जे.टी.सी.प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। **यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन अधिसूचना दिनांकित 02.12.2008 के कम में निर्गत अधिसूचना संख्या 1306/छः–पु–1–13–115–2008 दिनांक 09.4.2013 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 के संगत नियमों के अन्तर्गत निरस्त करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा इससे पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करायेंगे।**

10. जेटीसी प्रशिक्षण हेतु आमद करने वाले सभी अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जायेगा कि **यदि मा0न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इनका आवंटित पद परिवर्तित किया जाता है अथवा इन्हें अचयनित घोषित किया जाता है तो इन्हें यह स्वीकार होगा। अभ्यर्थियों से भराये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न है।**

11. उ0प्र0पुलिस की बेवसाइट **http://uppolice.gov.in** पर परिशिष्ट 'ख' (1) व परिशिष्ट 'ख' (2) के प्रारूप उपलब्ध हैं जिनमें कमशः `32/– एवं 42/– नान–जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर अभ्यर्थीगण अपने साथ लाकर जे.टी.सी.प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगें। प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख इन शपथ–पत्रों को भी अभ्यर्थी की चरित्र सत्यापन पत्रावली पर रखवाकर कमागत कराना सुनिश्चित करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्देश उ0प्र0पुलिस की बेवसाइट http://uppolice.gov.in पर उपलब्ध हैं जिन्हें डाउनलोड कर तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें। प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण–रूपेण अनुपालन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. **प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख** प्रशिक्षण हेतु आमद करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद एवं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें :–

क्र. स	अभ्यर्थी का		पिता का नाम	गृह जनपद	चरित्र सत्यापन का जनपद	प्रशिक्षण संस्थान में आगमन की तिथि
	अनुक्रमांक	नाम				
1	2	3	4	5	6	7

13. उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण के प्रकरण में मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 51459/2015 कौशल गिरी बनाम उ0प्र0 राज्य व 02अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन तथा चयन प्रकिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।

14. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के कम में उपरोक्तानुसार जे.टी.सी. प्रशिक्षण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

15. चरित्र पंजिका तैयार कराने, प्रशिक्षण संस्थान में जे.टी.सी. के दौरान रंगरूटों को किट प्रदान किये जाने, उनकी वर्दी सिलवाने, अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार **PRAN No.** आवंटित कराने और उनकी पास–बुक तैयार कराने की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाय।

संलग्नक :–

(1) आरक्षी पुलिस के पद हेतु चयनित 3873 अभ्यर्थियों की सूची/नामावली।
(2) रूपया 10/– के नॉन–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिए जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप।
(3) बुलावा–पत्र का प्रारूप।
(4) आरक्षी पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रारूप।
(5) परिशिष्ट 'ख' (1) व परिशिष्ट 'ख' (2) (नॉन–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र हेतु)।

25/10/16

(अनिल कुमार राय)
पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना,
उ0प्र0।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर सचिव भर्ती, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त परिपत्र मय समस्त संलग्नक उ0प्र0पुलिस की बेवसाइट **http://uppolice.gov.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

SARKARIRESULT.COM